

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 63/2019 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. चन्दा पिता मियाचन्द रेगर निवासी थडौदा
तहसील बिजौलिया |
|---|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री नोनिहाल सिंह गौड अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मानपुरा की आ.नं. 730/53 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 19.05.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मानपुरा की आ.नं. 730/53 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 19.05.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम मानपुरा का मौका पर्चा, ग्राम मानपुरा की जमाबंदी संवत् 2070-2073 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के नाम पर आवंटन कमेटी ने नियमानुसार आवंटन किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि आवंटित भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा नहीं दिया गया। आवंटित भूमि पर पडौसी खातेदारों द्वारा कब्जा कर रखा है। आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.05.2018 में अंकित किया है कि ग्राम मानपुरा के आ.न. 730/53 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय में मौके पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि विपक्षी को पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि का दिनांक 26.06.1992 को कब्जा दिया गया है। जिसके सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी चंदा पुत्र मियाचन्द रेगर निवासी थडौदा के नाम आवंटित ग्राम मानपुरा के आराजी नं. 730/53 रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 19.05.1989 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम मानपुरा की आ.न. 730/53 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

